प्रेषक,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
मुजफ्फरनगर।

सेवा में,

प्रबन्धक,
गुरूकुल पब्लिक स्कूल
कुटेसरा, चरथावल।

पत्रांक/शि0स0/ 9474-75 /2009-10 दिनांक : 14-9-09

विषय :- **प्राइमरी स्तर की नवीन अस्थायी मान्यता के सम्बन्ध में।**

महोदय,

राजाज्ञा संख्या/107315-06-98-18 (एस)(7)/89 शिक्षा (6) अनुभाग लखनऊ : दिनांक 10 सितम्बर, 1998 एवं सचिव उ0प्र0 बे0शि0प0, इलाहाबाद के पत्र सं0/बे0शि0प0/सा0-5/78-413/989-2000 दिनांक 16.04.99 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत आपके आवेदन पर जिला मान्यता समिति मुजफ्फरनगर की बैठक दिनांक 07.09.2009 में लिये गये निर्णयानुसार सूच्य है कि आपके विद्यालय को अस्थायी मान्यता प्राप्त निम्नांकित प्रतिबन्धों के अधीन पत्र निर्गत होने की तिथि से प्रदान की जाती है।

1. मान्यता पत्र निर्गत होने की तिथि से विद्यालय में समस्त अध्यापक स्नातक प्रशिक्षित रख लिये जायें और अध्यापकों को निर्धारित वेतनक्रम दिया जाये।
2. अध्यापकों को वेतन का भुगतान बैंक में खुले खाते के माध्यम से किये जायें।
3. रूपये 3000/- (तीन हजार रूपये) विद्यालय प्रबन्धक के पदनाम जमा हों तथा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, मुजफ्फरनगर के पदनाम बंधक हों।
4. समिति रजिस्ट्रेशन का नवीनीकरण यथासम्भव कराते रहें।
5. विद्यालय की दूसरी शाखा न खोली जायें।
6. विद्यालय में निर्धारित पाठ्यक्रम लागू रखा जाये।
7. निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क कदापि न लिया जाये।
8. अध्यापकों का अनुमोदन एक माह के भीतर करा लिया जाये।
9. विद्यालय भवन विद्यालय के नाम एक माह के भीतर करा लिया जाये।
10. 5 वर्ष की अवधि में स्थायी मान्यता लेना अनिवार्य होगा।
11. विद्यालय में अग्निशमन यंत्र स्थापित कराकर अग्निशमन अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र 15 दिन के भीतर अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में प्रस्तुत करें।

यदि विद्यालय प्रबन्धक द्वारा उक्त शर्तों का पालन नहीं किया जाता है तो आपके विद्यालय की अस्थायी मान्यता उसी समय समाप्त कर दी जायेगी, जिसका उत्तरदायित्व आपका स्वयं का होगा।

भवदीय

(रविदत्त)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
मुजफ्फरनगर

पृ0सं0/शि0स0/ 9474-75 /2009-10 दिनांक : उपरोक्त।

प्रतिलिपि निम्न अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. उप बेसिक शिक्षा अधिकारी, मुजफ्फरनगर।
2. सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी चरथावल।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
मुजफ्फरनगर

Principal
Gurukul Public School
Kutesra (Muzaffarnagar)

Manager
Gurukul Public School
Kutesra (M.Nagar)

(14) मूल अधिनियम–2009 एवं अधिनियम–2012 की धारा–1ए(4) के द्वारा किये गये संशोधन असहायता प्राप्त अल्पसंख्यक विद्यालयों पर लागू नहीं होंगे।

(15) प्रथमतया निर्धारित प्रारूप पर नियमावली में उल्लिखित प्राविधानों के दृष्टिगत औपबन्धिक मान्यता तीन वर्ष के लिए दी जायेगी। इस अवधि में मान्यता की शर्तों के उल्लंघन से सम्बन्धित यदि कोई प्रतिकूल तथ्य संज्ञानित नहीं होता है तो तीन वर्ष की अवधि पूरी होने पर यह मान लिया जायेगा कि विद्यालय को स्थायी मान्यता प्राप्त हो गयी है।

कृपया उक्त मानकों/शर्तों का कड़ाई से अनुपालन किया जाये।

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीय,

(सुनील कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. अपर शिक्षा निदेशक (बे0), उत्तर प्रदेश, शिक्षा निदेशालय, इलाहाबाद।
4. सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
5. समस्त मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक(बेसिक), उत्तर प्रदेश।
6. समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7. शिक्षा विभाग के समस्त अधिकारी/अनुभाग।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(ममता श्रीवास्तव)
संयुक्त सचिव।

https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox?projector=1